




मरेप्र(कार्मिक)/पू.म.रेल/सोनपुर
सं०-का/यों/अरे-अमं/पार०स्थाना/प्रसलोपा-सलोपा/सोन/19/भाग-1 के पत्र
(कार्मिक)/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा मंडल के पत्र सं० SER/P-ADA/Rg(G)/Sr.ALP/ALP/223/6/Part-
V/IRMT/KK दिनांक:-06.11.2020 द्वारा श्री जितेन्द्र प्रसाद गोप, सलोपा (वि.)/बरौनी सोनपुर मंडल के साथ श्री
किशन कुमार, प्रसलोपा(वि.+डी.)/बोकारो स्टील सिटी/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा मंडल को सलोपा लेवल-02 में
निम्नतम वरीयता पर अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण स्वीकृत है। श्री किशन कुमार, सलोपा/आद्रा मंडल से
मरेप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा के पत्र सं० SER/P-ADA/Rg(G)/Sr.ALP/ALP/223/6/Pt-V/IRMT/KK
दिनांक:-16.12.2020 द्वारा विरमित होकर इस मंडल में दिनांक 17.12.2020 को पदस्थापना हेतु रिपोर्ट किये है,
को सलोपा लेवल-02 में मु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। इन्हें
स्थानांतरण पर मिलने वाली कोई सुविधा देय नहीं है। पारस्परिक स्थानांतरण पर नियमानुसार वरीयता का लाभ
देय होगा।

श्री किशन कुमार, पुत्र श्री दीना नाथ पंडित, सलोपा का अन्य सेवा विवरण हेतु मरेप्र (कार्मिक)/दक्षिण
पूर्व रेलवे/आद्रा मंडल का विरमन पत्र दिनांक 16.12.2020 की छाया प्रति संलग्न है। ये दिनांक:-17.12.2020
से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक कार्यालय में आदेश हेतु प्रतिकारत रहे है।

श्री किशन कुमार का फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं वार्ये हाथ का अंगूठा का निशान सत्यापित निम्न
प्रकार है।

फोटो	हस्ताक्षर का नमूना	वार्ये हाथ का अंगूठा निशान
		

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल सोनपुर

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल सोनपुर

उपरोक्त पदस्थापना पर वमविइ/टीआरओ का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि- 11

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०:- KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20

दिनांक:-29.12.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मरेप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा-श्री किशन कुमार का विधिकृत सेवा अभिलेख भेजने की व्यवस्था करे।
02. वमविप्र/सोनपुर। 03. वमविइ (टीआरओ)/सोनपुर।
04. मु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी-श्री जितेन्द्र प्रसाद गोप, पुत्र झाबू गोप, सलोपा/बरौनी को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं० 707/2020 दिनांक 24.12.2020 द्वारा इन्हे आद्रा मंडल विरमित करने हेतु इस कार्यालय में सत्यापित पहचान, के साथ विरमित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु अभी तक इन्हे आपके द्वारा विरमित नहीं किया गया है, इसे शीघ्र विरमित करे।
05. मुकार्याधी (बिल)/सोनपुर/बरौनी। 06. संबंधित कर्मचारी।
07. अभिलेख प्रति। 08. कार्यालय आदेश प्रति।
09. मंडल मंत्री ई०सी०आर०के०यू०, ओबीसी/अजा-अजजा, एशो०/सोनपुर मंडल।